

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोलायत

भंवरलाल

बनाम

धनाराम आदि

किस्म मुकदमा :- प्रार्थना पत्र

नं. 23 सन् 2021

अर्न्तगत धारा :- राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलसजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
17-06-2021	<p>आज यह प्रार्थना पत्र श्री हंसराज डेलू एडवोकेट ने पेश किया। प्रार्थना पत्र सरिस्ते से रिपोर्ट होकर पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>प्रकरण मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिकार्ड व शपथ पत्र के आधार पर इकतरफा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि रोही चक गुजरसिंहवाला के खेत खसरा नम्बर 7 तादादी 0.5700 हैक्टर भूमि को विक्रय नहीं किया जावे मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति दिनांक 15.07.2021 तक बनाई रखी जावे।</p> <p>अप्रार्थीगण को इसमे कोई आपत्ति हो तो आगामी पेशी दिनांक 15/07/2021 को इस न्यायालय में असालतन/वकालतन उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।</p> <p>पत्रावली आयन्दा दिनांक 15/07/2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला-बीकानेर</p> <p>15.7.21 आज मुकदमा न अदालत कार्य स्थिति कर रहा है तबतक 17 बाहे पेशी हो मिसल वास्तो... दिनांक 24.8.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी कोलायत</p>	
24-08-2021	<p>आज मुकदमा न अदालत कार्य स्थिति कर रहा है तबतक 17 बाहे पेशी हो मिसल वास्तो... दिनांक 28.10.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी कोलायत</p>	
28/10/2021	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आयन्दा दिनांक 22/11/2021 को अशामन गांवों के संग अन्तिमान- 2021 के मय ग्राम पंचायत नरु लथा नं.-1 में पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला-बीकानेर</p>	

22/11/2021 पत्रावली आज दिनांक 22/11/2021 को ज्ञानम  
गोपी के संग मनिमान-2021 के मूक संस्था  
नं.-1 श्री शम पंचायत में पेश हुई। पत्रकार  
अनुपाधिक। के मूक के दौरान दोनों के मूक  
समझता नहीं होने के कारण पत्रावली आजका  
दिनांक 06.01.2022 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी  
कोलायत जिला-बीकानेर

14/12/2021 पत्रावली शर्मा के शर्मा पत्र जरिये एडिटर  
श्री हेमराज डेलू के माफत प्रस्तुत करने पर  
पेशी में ली गई।

शर्मा की ओर से इस शिकायत का शर्मा  
पर प्रस्तुत किया गया है कि वह इस शर्मा पत्र  
को नहीं चलावा चाहता है। एवं इस पत्रकार  
को जरिये विद्रोह निरस्त करवाना चाहता है।

चूंकि शर्मा शर्मा पत्र को आगे नहीं चलाना  
चाहता है। अतः शर्मा पत्र इसकी मसलमिने  
झाधर पर विद्रोह खारिज किया जाता है।

पत्रावली केसल शुमार हीफ्ट हब जाहल  
बाद तबतीब तकमील काखिल रूपर ही। निरस्त  
आज दिनांक 14/12/2021 को सुनया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
कोलायत जिला-बीकानेर